I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section(1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(*i*) Eighteenth Annual Report and Accounts of Gujarat Agro Industries Corporation Ltd., Ahmedabad for the year 1986-87 together with the Auditors report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(*ii*) Review by Government on the working of the Corporation.

II. Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the paper mentioned at I(i) above.

[Placed in Library *See* No. LT-846/90.]

Public Notice notifying the Newsprint Allocation Policy for the Licensing year April, 1990-March, 1991.

SHRI JAGDEEP DHANKAR : Madam, On bahalf of Shri P. Upedra, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the Public Notice No. 1-PR-NP/90, dated the 18th May, 1990, notifying the Newsprint Allocation Policy for the Licensing year April 1990—March, 1991. [Placed in Library. *See* No. LT-882/90].

Report and Accounts (1988-89) of the Central Board for Workers' Education, Nagpur and related papers.

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं—

(i) 1988-89 के वर्ष के लिए सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजुकेशन नागपुर का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ii) बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(iii) ऊपर (i) में उल्लिखत पत्रों क सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई] देखिए संख्या एल.टी—833/90

Notifications of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Civil Supplies).

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) महोदया में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) —

(i) दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1990 को प्रकाशित करने वाली का.आ. सं. 256(अ), दिनांक 26 मार्च, 1990

(i) दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1990 को प्रकाशित करने वाला का०आ० सं० 331(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 1990 [पुस्तक लय में रखी गई (i) तथा (ii) के लिये देखिए सं०एल०टी०-984/90]

II. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 1989 को प्रकाशित करने वाली खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० 50 (131)/86-खा० [सं०/उ० का दिनांक 23-10-1989 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 985/90] ।